रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 13, 2018/माघ 24, 1939
No. 81] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 13, 2018/MAGHA 24, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2018

सा. का. नि. 165 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (लेखाकार) भर्ती नियम, 1984 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग में लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग (लेखाकार) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर : पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
लेखाकार	1* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रू)	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
6	7
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
11
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) 1. केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के ऐसे ज्येष्ठ सचिवालय सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड और लेखा में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हों तथा रोकड़, लेखा और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव रखते हों; जिसके न हो सकने पर 2. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या कानूनी अथवा स्वायत संगठनों के अधीन अधिकारी : (I) (अ) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हों; या (आ) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29200-92300/-) के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो ; या (इ) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100/-)के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और (II) जो सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड और लेखा में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हों तथा रोकड़, लेखा और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव रखते हों; जिसके न हो सकने पर **टिप्पण (1):—** प्रतिनियुक्ति(जिसके अन्तर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण (2):—**प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

[फा.सं. 17016/10/2015-एससीडी-VI]

यू. वेंकटेश्वरलू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2018

G.S.R. 165(E).—exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Accountant) Recruitment Rules, 1984, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accountant in the National Commission for Scheduled Castes, namely :-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the National Commission for Scheduled Castes (Accountant) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix or pay scale.-

The number of post, its classification, the level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Accountant	1* *(2018) Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400/-)	Not applicable	Not applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation , if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By deputation including short-term contract.	Deputation(including short term contract) (1) Senior Secretariat Assistants of the Central Secretariat Clerical Service with eight years regular service in the grade and who have undergone training in Cash and Accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or	Not applicable	Not applicable

			equivalent and possessing two years' experience of cash, accounts and budget work; or (2) officers under the Central Government or State Government or Union territory Administration or recognised research institutions or universities or public sector undertakings or semi-government or statutory or autonomous organisations: (I)(A) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (B) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the posts of level 5 in the pay matrix (Rs 29200-92300/-) in the parent cadre or department; or (C) with eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the posts of level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100/-) in the parent cadre or department; and (II) who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and possessing two years' experience of cash, accounts and budget work. **Note (1):-** Period of deputation (including short time contract) including period of deputation (including short time contract) in another ex-		

			cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note (2):-** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

[F.No.17016/10/2015-SCD-VI]

U. VENKATESWARLU, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.02.20 15:51:22 +05'30'